अधिसूचना

सं0 3/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015.

सा0का0नि0...........(अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 882(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--

(क) क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"1क	0402 91 10 0402 99 20	मात्रक आधानो में रखा गया संघनित दुग्ध	30";

(ख) क्रम सं0 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"16क	2101 20	चाय या मेट के निष्कर्ष, सत और सांद्र तथा इन निष्कर्षों, सतों या सांद्रों के आधार वाली या चाय या मेट के आधार वाली विनिर्मितियां	30";

(ग) क्रम सं0 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"25क	2202	खनिज जल और वातित जल के सिवाय सभी माल	35";

(घ) क्रम सं0 56 के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(ङ) क्रम सं0 101 के सामने,--

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "85 या 94" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(ख) स्तंभ (3) में "आटोमोबाइल के लिए लैंपों के सिवाय" शब्दों के स्थान पर, "शीर्ष 8539 के अन्तर्गत आने वाले [आटोमोबाइल के लिए लैंपों के सिवाय], अध्याय 85 या शीर्ष 9405 के अऩ्तर्गत आने वाले एलईडी लैंपों सहित एलईडी लाइट्स या फिक्सचर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(च) क्रम सं0 121, 122, 123 और 124 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 49/2008- सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसम्बर, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 882(अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 17/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 452(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।